कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 **ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/2309 दिनांक20/09/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक– FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक / 2533 दिनांक 02.09.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्न लिखित त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैः–

1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1166 दिनांक 05.06.2021 का उत्तर अप्राप्त है एवं ऑनलाईन ई.डी.एस में भी जानकारी अपलोड नहीं किया गया है।
2. ऑन लाईन फार्म–ए में नवीन प्रस्ताव अनुसार सुधार नहीं किया गया है।
3. नवीन प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिर्पोट मय सी.डी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
4. Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में प्रस्ताव के समस्त 21 बिन्दुओं की सत्यापित प्रपत्र अपलोड करें।
5. नवीन प्रस्ताव अनुसार सत्यापित वनस्पति मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
6. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र मय वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव में संलग्न करें ।
7. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर इस बाबत् भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति नहीं होने से प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि विषयांकित प्रकरण तीन बार शासन स्तर से एवं तीन बार नोडल कार्यालय से स्तर से सुधार हेतु अब

तक वापस किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि वन मंडल कार्यालय एवं वृत्त कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का गंभीरता से परीक्षण नहीं किया जा रहा है, केवल खानापूर्ति कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। बिलासपुर वृत्त के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव में यही स्थिति निर्मित हो रही है। इस हेतु नोडल कार्यालय द्वारा **अप्रसन्नता** व्यक्त की जाती है।

पूर्व में बिलासपुर वृत्त कार्यालय को त्रुटि सुधार हेतु कई पत्राचार किया जा चुका है परन्तु स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर स्पष्टीकरण लेकर त्रुटिहीन प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

तदानुसार प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिर्पोट मूलतः वापिस किया जाता है।

संलग्नः— प्रस्ताव 3 प्रतियों में
डी.जी.पी.एस. सर्वे 3 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/ 115—874A/ 2310 रायपुर, दिनांक 20/09/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन मंडलाधिकारी**, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़